



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2132/2018

अपीलार्थी

गोपाल लाल अटल
म0न0 1484] गंगापोल दरवाजा]
पुलिस चौकी के पास] रैगरो का
मोहल्ला]
जयपुर, राजस्थान

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
लेखाधिकारी
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग,
जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 07-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भगवाना राम कुलदीप, उप वित्तीय सलाहकार उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 04-09-2017 के द्वारा पूर्व में प्रेषित की गई शिकायत व जाँच से संबंधित 8 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी ने अपने छोटे भाई से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाएं चाही हैं। अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 04-09-2017 को कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम अपील के बाद आवेदन प्राप्त हुआ जिसके बाबत विनिश्चय पत्र दिनांक 29-11-2017 से प्रेषित किया गया कि वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (1)(छ)(ज) की श्रेणी में आता है अतः सूचना देय नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा पूर्व में भी इसी तरह की सूचना चाही गई थी जिस पर आयोग ने द्वितीय अपील संख्या 646/2017 निर्णय दिनांक 18-07-2017 से अपील खारिज की है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचनाएं है तथा तृतीय पक्षकार ने सहमति प्रदान नहीं की है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर से उक्त पैरा संख्या 5 में किये कये कथन की पुष्टि होती होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र

दिनांक 29-11-2017, द्वितीय अपील संख्या 646/2017 निर्णय दिनांक 18-07-2017 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त